GSTIN : 23AADCM5913E1ZV
CIN No. L24121RJ1997PLC029126
www.mbapl.com
accounts@mbapl.com

OSTWAL

MADHYA BHARAT AGRO PRODUCTS LIMITED

(An ISO 9001:2015 Certified Company)

Date: 24.08.2022

To,
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E)
Mumbai – 400 051

Dear Sir / Madam

Ref: Regulation 47(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Sub: Intimation of publication of newspapers advertisement in respect of 25th Annual General Meeting of the Company.

Scrip Code: MBAPL

With reference to the above captioned subject, please find enclosed newspaper advertisement published in following mentioned newspapers on Wednesday, August 24, 2022: Financial Express (English) and Nafa Nuksan (Hindi Edition), intimating that 25th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, September 26, 2022 through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means.

This is for your information and record.

For Madhya Bharat Agro Products Limited

(Pallavi Sukhwal)
Company Secretary

Scanned with CamScanner

MADHYA BHARAT AGRO PRODUCTS LTD.

Reg. Office- 5-O-21, Basement, R.C. Vyas Colony, Bhilwara (Raj.) India
Website: www.mbapl.com Email: secretarial@mbapl.com; CIN No.: L24121RJ1997PLC029126
Tel. No. : 01482-237104 Fax No. : 01482-239638

OSTWAL

NOTICE OF 25th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

In compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013, rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015 read with general circular no. 14/2020 dated 08th April 2020, general circular no. 17/2020 dated 13th April 2020, general circular no. 20/2020 dated 05th May 2020 and general circular no. 02/2022 dated 05th May 2022 issued by ministry of corporate affairs read with relevant circulars issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), from time to time (hereinafter collectively referred to as "circulars"), the 25th Annual General Meeting (AGM) of the company will be held through Video Conferencing ("VC") on Monday 26th September 2022 at 03:30 P.M. (IST) to transact the business that will be set forth in the notice of AGM ('Notice').

In accordance with the aforesaid Circulars, the Notice and the Annual Report for the financial year 2021-22, will be sent only through electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants (DPs). The Notice and Annual Report will also be available on the website of the Company at www.mbapl.com and on the website of National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.nseindia.com. Further, members can join and participate in the AGM through VC facility only. The instructions for joining and manner of participation in the AGM will be provided in the notice. Members attending the AGM through VC shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies act, 2013.

In order to send Notice, Annual Report and other Communications to the members in electronic form, Members who have not yet registered their email address are requested to register the same immediately in respect of shares held in electronic form with the depository through their depository participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to Company's Registrar and Share Transfer Agent, Bigshare Services Private Limited at investor@bigshareonline.com

The Company will provide remote e-voting facility to all its members to cast their votes on the resolutions set forth in the notice. Additionally, the company will also provide the facility of voting through e-voting system during the AGM. The detailed procedure for casting votes through remote e-voting/ e-voting at the AGM shall be provided in the Notice.

The Shareholders may note that the final dividend will be paid electronically to those shareholders who have updated their bank account details. For shareholders who have not updated their bank account details, dividend warrants/ demand drafts / cheque will be sent out to their registered addresses once the postal facility is available. To avoid delay in receiving the dividend, shareholders are requested to update their KYC with their depositories (where shares held in dematerialized mode) to receive dividend directly into their bank account on the payment date.

By Order of the Board of Directors
For Madhya Bharat Agro Products Limited
Sd/-
(Pallavi Sukhwal)
Company Secretary

Place: Bhilwara
Dated: 23/08/2022

KRISHANA PHOSCHEM LIMITED

Regd. Off.: 5-O-20, Basement, R.C. Vyas Colony, Bhilwara 311001 Rajasthan

For Your Information...

Number of Commercial Pilot License (both aeroplanes & helicopters) issued

2020: 639

2019: 795

2018: 849

2017: 593

2016: 458

2015: 274

Source: Ministry of Civil Aviation

Compiled by Nafanuksan Research

यहां करें भ्रष्टाचार की शिकायत

एसीबी टोल फ्री नंबर : 1064
वाट्सऐप हेल्पलाइन नं. : 9413502834

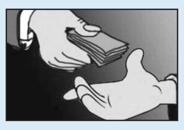

विचार सागर

''जमीन और मुकद्दर की एक ही फितरत है दोनों में ही जो बोया है वही निकलता (मिलता) है।''
- पी.सी. वर्मा

''स्त्री की छठवीं इन्द्री इतनी तेज होती है कि वह आने वाले खतरों को सबसे पहले भांप लेती है।''
- के.आर. कमलेश

Thoughts of the time

We can't take a slipshod and easygoing attitude toward education in this country. And by 'we' I don't mean 'somebody else' but I mean me and I mean you. It is the future of our country yours and mine which is at stake.
- Henry Ford II

You cannot shake hands with clenched Fist!
- Suresh Rathi

राजस्थानी कहावत

गरज मिटी रे गांगला
गांव सूं आटो मांगला

गर्ज मिटी रे 'गांगला' गांव से आटा मांगता

- गर्ज मिटते ही मनुष्य का रुख स्वयमेव बदल जाता है।

-स्व. विजय दान देथा
साभार : रूपायन संस्थान, बोरूंदा

केप्री लोन्स का आगामी 5 वर्षों में अपने गोल्ड लोन बुक को 8000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य

जयपुर/कार्यालय संवाददाता

एमएसएमई क्रेडिट और हाउसिंग फाइनेंस के क्षेत्र में कार्यरत एनबीएफसी कंपनी केप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के केप्री लोन्स की ओर से राजस्थान समेत अन्य राज्यों में 100 से अधिक ब्रांच के साथ अपने गोल्ड लोन कारोबार का शुभारंभ किया है। केप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, गोल्ड लोन के बिजनेस हेड रवीश गुप्ता ने बताया कि कोविड-19 के बाद से छोटे शहरों व गांवों में गोल्ड लोन की डिमांड बढ़ गई है। इस कारण लोग गोल्ड को बेचने की बजाय कौलेटरल के रूप में गिरवी रख रहे हैं।

गोल्ड ज्वैलरी को उच्चतम सुरक्षा प्रदान करने के लिये ये गोल्ड लोन शाखायें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिक्योरिटी वॉल्टों से सुसज्जित है। कंपनी ने पूरे राजस्थान में ऐसी 41 गोल्ड लोन ब्रांचों का शुभारंभ किया है और शेष अन्य ब्रांच मध्यप्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र में खोली गई है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023 की पहली छमाही तक उत्तरी एवं पश्चिमी भारत में एआई आधारित सिक्योरिटी वॉल्ट की सुविधाओं वाले 200 गोल्ड लोन ब्रांच के शुभारंभ का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि इन सभी ब्रांचों में टेक्नोलॉजी को लागू करने से केप्री लोन्स को तुरंत पारदर्शी तरीके से और बिना किसी परेशानी के गोल्ड लोन फाइनेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। ये ब्रांच कई पुनर्भुगतान विकल्पों के साथ 6 से 12 महीने की अवधि के लिये गोल्ड लोन प्रदान करेंगी। केप्री लोन्स द्वारा कुल गिरवी रखे गये गोल्ड के 75 फीसदी तक का लोन बेहद प्रतिस्पर्धी इंटरेस्ट रेट्स पर उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी उत्तरी व पश्चिमी भाग के टियर-3, टियर-4 व टियर-5 शहरों को लेकर बेहद आशान्वित हैं। आगामी पांच वर्षों में अपने गोल्ड लोन बुक को 8000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने के साथ-साथ 1500 शाखाओं के साथ अपने नेटवर्क का विस्तार करना है। कंपनी द्वारा प्रत्येक ग्राहक के लिये डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर उधारकर्ताओं को पारदर्शी रूप से चर्चा करने और वांछनीय सलाह प्राप्त करने में मदद करेंगे।

केप्री लोन्स ने किया गोल्ड लोन कारोबार का शुभारंभ

मेडिकल स्टोर, शराब, फल-सब्जी व अनाज व्यापारियों के लिए भी खाद्य लाइसेंस जरूरी

बीकानेर/नि.सं.। मेडिकल स्टोर, शराब, फल-सब्जी व अनाज मंडी के आढ़त व्यापारियों के लिए भी खाद्य लाइसेंस लेना जरूरी है। इसके लिए चिकित्सा महकमा शिविर भी लगा रहा है। बिना खाद्य लाइसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं मानक के तहत सजा का प्रावधान भी है। इसलिए खाद्य पदार्थों का निर्माण, संग्रहण, चिलिंग, परिवहन व विक्रय से जुड़े सभी प्रकार के व्यापारियों के लिए खाद्य लाइसेंस आवश्यक है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ कारोबार से जुड़े विक्रेताओं, निर्माताओं को शिविर में या ऑनलाइन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी महमूद अली का कहना है कि लाइसेंस लेने वाले आवेदक प्रोपराइटर का संपूर्ण विवरण नाम, पता, मोबाइल नम्बर, ईमेल इत्यादि, व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण पत्र, प्रोपराइटर से संबंधित स्वघोषणा पत्र, पार्टनरशिप डीड, निर्माण इकाई के लिए अतिरिक्त दस्तावेज, यूनिट का फोटो, प्रोसेसिंग एरिया सहित उत्पाद इकाई का लेआउट, जल की जांच रिपोर्ट, प्रोपराइटर का पहचान.पत्र आदि दस्तावेज के साथ उक्त स्थल पर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अबरार पंवार ने बताया कि खाद्य कारोबार को शुरू करने के लिए खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करना जरूरी है। 29 अगस्त को झज्जू में और फिर 30 अगस्त को दामोलाई में लाइसेंस शिविर लगाएं जाएंगे।

अवैध कॉलोनियों के विरूद्ध वाद दायर

बीकानेर/नि.सं.। संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज केण् पवन के निर्देशानुसार जिले की 38 अवैध कॉलोनियों के विरूद्ध भू.राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 175.77 के तहत सहायक कलक्टर, बीकानेर के न्यायालय में वाद दायर किए गए हैं।

संभागीय आयुक्त ने बताया कि जिले में अवैध रूप से कॉलोनियां बसाए जाने को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में गत दिनों आयोजित बैठक की अनुपालना में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के उप पंजीयक प्रथम द्वारा 78, उप पंजीयक द्वितीय द्वारा 28 और उप पंजीयक तृतीय द्वारा 6 सहित कुल 121 अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं। इनमें से 38 के विरूद्धवाद दायर कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि करमीसर क्षेत्र के 19, किसमीदेसर के 10, नापासर के 3, गंगाशहर क्षेत्र के 2 तथा हिमतासर, रिड़मलसर पुरोहितान, सरह कजानी, नाल छोटी और 16 बीएसएम के एक-एक मामले हैं। उन्होंने बताया कि अवैध चिन्हित 121 कॉलोनियों के विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है।

छात्राओं को आत्मरक्षा के तरीके बताए

जयपुर/का.सं.। विद्याधर नगर स्थित बियानी गर्ल्स कॉलेज में 8 दिवसीय पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कार्यशाला 'ऊर्जा.22' के दूसरे दिन मोटिवेशनल लेक्चर, सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स और डांस क्लासेज आयोजित किए गए। कार्यक्रम में डीसीपी सुनीता मीणा ने छात्राओं को आत्मरक्षा के कई तरीके बताए। उन्होंने कहा कि आपात स्थिति में किसी भी दशा में आपा ना खोएं। धैर्य रखते हुए साहस से काम लें। कार्यक्रम की शुरुआत योगा ट्रेनर डॉ. श्वेता त्रिपाठी ने छात्राओं को योगा व मेडिटेशन करवा कर की। प्रथम सत्र में बिश्वास मुखर्जी ने छात्राओं को सकारात्मक रहने की सलाह देते हुए कहा कि सारा खेल हमारी सोच का है। जैसी हमारी सोच होगी, वैसा ही हमारा जीवन होगा। इसी के साथ डॉ. भारती शर्मा ने छात्राओं को बियानी टीवी और कम्यूनिटी रेडियो सेल्फी के बारे में जानकारी दी। दूसरे सत्र में राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की ओर से छात्राओं के टेलेंट को बढ़ावा देते हुए उन्हें स्टेज परफोर्मेंस के लिए तैयार किया गया। कार्यक्रम के अंत में डांसर नवीन ने छात्राओं को डांस के स्टेप्स सिखाए।

गीतांजली बना दक्षिण राजस्थान का पहला एनएबीएच एक्रीडेशन ब्लड बैंक

उदयपुर/नि.सं.। यहां के गीतांजली मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को गहन मूल्यांकन के बाद नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल (एनएबीएच) की ओर इस ब्लड बैंक को प्रमाणित किया गया है। एनएबीएच ने बेहतर गुणवत्ता के लिए अपनी मुहर लगाई है। गीतांजली हॉस्पिटल में ब्लड सेंटर के लोगो एवं सर्टिफिकेट का अनावरण गीतांजली ग्रुप के चेयरमैन जे.पी. अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंकित अग्रवाल, वाईस चांसलर डॉ नरेन्द्र मोगरा, डीन डॉ. डीसी कुमावत, जीएमसीएच सीईओ प्रतीम तम्बोली, मेडिकल सुप्रीटेनडेंट कर्नल डॉ सुनीता दशोत्तर द्वारा किया गया। चेयरमैन अग्रवाल ने इसे दक्षिण राजस्थान के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंकित अग्रवाल ने बताया कि यह ब्लड बैंक पूरी तरह से हाईटेक और सुरक्षित है। यह पूर्णतया आटोमेटेड मशीन और संचालित हो रहा है। यहां बार कोड की सुविधा है जिससे मानवीय त्रुटि की संभावना नहीं होती है। सीईओ प्रतीम तम्बोली ने कहा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रोगी को डोनर से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए केमिल्यूमिनिसेंस की आधुनिकतम मशीनों का प्रयोग किया जाता है, इससे मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कोई खतरा नहीं होता है।

कॅरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में नये सत्र के लिये ओरिएंटेशन

कोटा/नि.सं.। कॅरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिये वरिष्ठ विद्यार्थियों द्वारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम का उद्देश्य नये विद्यार्थियों को कॅरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी की विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराना था। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कोर्डिनेटर ने यूनिवर्सिटी द्वारा उपलब्ध ड्यूल डिग्री प्रोग्राम के बारे मे बताया और साथ ही एक साथ दो डिग्री कोर्स करने के लाभ भी बताये। यूनिवर्सिटी द्वारा विद्यार्थियों की अकेडमिक और पर्सनल केयर के लिए बनाए गए मेंटर-मेंटी सिस्टम से अवगत कराया गया। यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को उद्यमिता के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थापित ईडी सेल के बारे मे बताया गया और ईडी सेल द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न गतिविधियों से विद्यार्थियों को अवगत कराया गया। साथ ही उन्हें विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट डवलपमेंट प्रोग्राम जैसे की सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस आदि के बारे में बताया गया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रो. डॉ. टी.आर.शर्मा ने अगले कुछ साल अकेडमिक के साथ-साथ पर्सनल डवलपमेंट को देने के लिये कहा। कार्यक्रम के अंत में यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रमोद माहेश्वरी ने सभी स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित किया।

भारतीय कंपनियां विदेशों में रणनीतिक क्षेत्रों में तय सीमा से अधिक कर सकेंगी निवेश : वित्त मंत्रालय

नयी दिल्ली/एजेंसी

सरकार ने कहा कि भारतीय कंपनियां जरूरी मंजूरी हासिल कर ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में निर्धारित सीमा से अधिक विदेशों में निवेश कर सकती हैं।

विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश (ओवरसीज डायरेक्ट इनवेस्टमेंट) नियम और नियमन 2022 पर व्याख्यात्मक नोट में वित्त मंत्रालय ने कहा कि गैर-वित्तीय क्षेत्र इकाई स्वत- मंजूर मार्ग से (बैंक और बीमा को छोड़कर) वित्तीय सेवा गतिविधियों में शामिल विदेशी इकाई में प्रत्यक्ष निवेश कर सकती हैं।

पूर्व की व्यवस्था में गैर-वित्तीय क्षेत्र में काम करने वाली भारतीय इकाई को वित्तीय सेवा गतिविधियों में शामिल विदेशी कंपनी में निवेश की अनुमति नहीं थी। इसमें कहा गया है, ''बीमा क्षेत्र में काम नहीं करने वाली भारतीय इकाई उस साधारण और स्वास्थ्य बीमा में विदेशी इकाइयों में निवेश कर सकती हैं, जहां इस प्रकार का कारोबार ऐसी भारतीय इकाई के विदेशों में की जाने वाली मुख्य गतिविधि का समर्थन कर रहा हो।''

सरकार ने राजपत्र में प्रकाशित दो अधिसूचनाएं जारी कीं। इसमें भारतीय इकाइयों के विदेशों में निवेश और पोर्टफोलियो निवेश को लेकर सीमाएं निर्धारित की गयी हैं। पूर्व के नियमन में भारतीय इकाइयों में विदेशों में पोर्टफोलियो निवेश को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।

इसके अलावा नियंत्रण, विनिवेश, अनुषंगी की अनुषंगी और वित्तीय सेवा गतिविधियों समेत अन्य चीजों को भी परिभाषित किया गया है। वित्त मंत्रालय ने नोट में कहा है कि नई व्यवस्था में रणनीतिक क्षेत्र की नई अवधारणा पेश की गयी है। इसमें सरकार के पास विदेशों में तय सीमा से अधिक निवेश की अनुमति देने का अधिकार होगा।

इसमें कहा गया है, ''रणनीतिक क्षेत्र में ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन और ऐसे क्षेत्र शामिल होंगे जिसके बारे में निर्णय सरकार उभरते कारोबारी जरूरतों के आधार पर समय-समय पर करेगी।'' नये नियम में प्रस्ताव किया गया है कि मंजूरी मार्ग वाली चीजों को अब स्वत- मार्ग के तहत अनुमति होगी।

पूर्व व्यवस्था में किसी भारतीय इकाई को अनुषंगी की अनुषंगी को या उसकी ओर से कॉरपोरेट गारंटी जारी करने के लिए रिजर्व बैंक की मंजूरी की आवश्यकता होती है। लेकिन अब नई व्यवस्था में यह स्वत- मंजूर मार्ग के अंतर्गत आ गया है।

नोट के अनुसार, नई व्यवस्था में विदेशी इकाई की शेयर पूंजी के अधिग्रहण को स्वत- मार्ग के अंतर्गत अस्थायी स्थगित भुगतान के आधार पर मंजूरी दी गयी है। पहले इसकी अनुमति मंजूरी मार्ग के तहत थी।

इसमें कहा गया है कि भारतीय इकाई अगर भारत में वित्तीय सेवा गतिविधियों में शामिल नहीं है, वह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में उस विदेशी इकाई में प्रत्यक्ष निवेश कर सकती है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वित्तीय सेवा गतिविधियों (बैंक या बीमा को छोड़कर) में शामिल है।

इसके साथ अनुपालन बोझ के मामले में नई व्यवस्था में विदेशी निवेश-संबंधित विभिन्न रिटर्न/दस्तावेजों को दाखिल करने के लिये विलंब शुल्क जमा करने की सुविधा दी गयी है। मंत्रालय ने कहा कि इससे अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी आसानी होगी।

इसमें कहा गया है कि अनुषंगी की अनुषंगी कंपनियों की स्थापना या समापन या विदेशी इकाई के शेयरधारिता प्रतिरूप में बदलाव के लिए अलग रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को अब समाप्त कर दिया गया है।

'भारत दुनिया में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक बनेगा'

नयी दिल्ली/एजेंसी। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने भरोसा जताया कि भारत आने वाले दिनों में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक होगा। चीन के बाद भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे इस्पात का उत्पादक है। मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र की एनएमडीसी और उद्योग मंडल फिक्की की तरफ से भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर आयोजित सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत इस्पात के शुद्ध आयातक से शुद्ध निर्यातक बनने की ओर बढ़ा है।

सार्वजनिक उपक्रमों से वापस मिलीं 17 खदानों की नीलामी करेगी सरकार

नयी दिल्ली/एजेंसी। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा लौटाई गई 17 खदानों की नीलामी करने की योजना बना रही है। कोयला और खान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इन ब्लॉकों को अभी तक चालू नहीं किया जा सका है। सरकार घरेलू कोयला उत्पादन में तेजी लाने के प्रयास कर रही है, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में शुष्क ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इस सिलसिले में यह बयान महत्वपूर्ण है। जोशी ने कहा, एक दिन पहले मुझे 17 ब्लॉक वापस मिले हैं और ये अच्छे ब्लॉक हैं और मैं उन्हें अब नीलामी के लिए रख रहा हूं। एनएमडीसी और फिक्की द्वारा आयोजित भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश में कोयला जैसे क्षेत्रों में कई पीएसयू के पास बड़ी संख्या में खदानें हैं। सरकार ने इन पीएसयू से ऐसी सभी खदानों को वापस लेने का फैसला किया है, जिन्हें पांच से छह साल बीत जाने के बाद भी चालू नहीं किया गया। इन खदानों की नीलामी की जाएगी।

छोटे बच्चों को टोमेटो फ्लू का अधिक खतरा : लांसेट का अध्ययन

नयी दिल्ली/एजेंसी

कम उम्र के बच्चों को टोमेटो फ्लू होने का जोखिम अधिक है और यदि इसके प्रकोप को रोका तथा नियंत्रित नहीं किया जाता तो वयस्कों में भी संक्रमण फैल सकता है। हाल में 'द लांसेट रेस्पिरेटरी मेडिसिन' पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में यह चेतावनी दी गयी है।

लांसेट की रिपोर्ट के अनुसार टोमेटो फ्लू या टोमेटो बुखार की सबसे पहले पहचान छह मई को केरल के कोल्लम जिले में हुई थी। राज्य सरकार के अस्पतालों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 26 जुलाई तक पांच साल से छोटे 82 बच्चों में संक्रमण का पता चला है। केरल के अलावा तमिलनाडु और ओडिशा में भी टोमेटो फ्लू के मामलों का पता चला है। गत 17 अगस्त को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, ''बच्चों को टोमेटो फ्लू होने का अधिक खतरा है, क्योंकि इस आयुवर्ग में वायरल संक्रमण सामान्य बात है और करीबी संपर्क से यह फैल सकता है। छोटे बच्चों को नैपी के इस्तेमाल, गंदी सतहों को छूने और चीजें सीधे मुंह में डालने से भी संक्रमण का खतरा है।'' उसने कहा, ''अगर बच्चों में टोमेटो फ्लू के प्रकोप को नियंत्रित नहीं किया जाता तो वयस्कों में भी संक्रमण फैल सकता है और गंभीर परिणाम आ सकते हैं।'' इस बीमारी में शरीर पर लाल रंग के छाले या फफोले हो जाते हैं जिनमें दर्द होता है, इसलिए इसे टोमेटो फ्लू कहा गया।

अध्ययन के अनुसार यूं तो यह बीमारी जानलेवा नहीं है, लेकिन कोविड-19 महामारी के खतरनाक अनुभव को देखते हुए इसके प्रकोप को रोकने के लिए सतर्कता के साथ प्रबंधन जरूरी है। इस वायरस में कोविड की तरह ही बुखार, थकान, शरीर में दर्द और चकत्ते जैसे लक्षण भी सामने आ सकते हैं।

'यात्रियों को 55 प्रतिशत की रियायत देती है रेलवे'

बिजनौर (उत्तर प्रदेश)/एजेंसी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे अपने यात्रियों को 55 प्रतिशत की रियायत देती है और पिछले वर्ष इस मद में 62 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए। अपने दो दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचे रेल मंत्री ने बिजनौर रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में रेलवे की ओर से दी जा रही सब्सिडी पर कहा कि रेलवे अपने यात्रियों को 55 प्रतिशत की रियायत देता है। यानी रेलवे का खर्च अगर 100 रूपए है तो यात्रियों से सिर्फ 45 रूपए ही लिए जाते हैं। उन्होने बताया कि पिछले वर्ष रेलवे ने विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों को कुल 62 हजार करोड़ रूपए की सब्सिडी दी है। नई ट्रेनें चलाने की योजना के बारे में पूछे गये एक सवाल पर वैष्णव ने बताया कि मेट्रो की तरह मेन लाइन ईएमयू रेलगाड़ियां बनायी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये मेट्रो ट्रेन जैसी होंगी, जिनमें इंजन नहीं होता, बल्कि दूसरे-तीसरे कोच में ऊर्जा आती है और मेन लाइन ईएमयू रेलगाड़ियों में भी यही व्यवस्था होगी। संचार मंत्री ने एक अन्य सवाल पर कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की 5जी सेवा अक्टूबर माह में शुरू हो जाएगी। देश के पांच प्रमुख शहरों में अगले 500 दिनों में यह सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बीएसएनएल को मजबूत बनाने के लिए एक लाख 64 हजार करोड़ रूपए दिए हैं। बीएसएनएल को ग्राहको पर पूरी तरह ध्यान केन्द्रित करने के निर्देश दिए गये है।

मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय 5-ओ-21, बेसमेंट, आर.सी.व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा - 311001, राजस्थान
सीआईएन - L24121RJ1997PLC029126 फोन न.- 01482-237104, फैक्स न. -01482-239638
ई-मेल : secretarial@mbapl.com वेबसाइट : www.mbapl.com
OSTWAL

25 वीं वार्षिक आम बैठक से संबंधित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) की सुचना

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में, और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सामान्य नियमों के साथ बनाए गए नियम सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, 20/2020 दिनांक 05 मई 2020 और 02/2022 दिनांक 05 मई 2022 इसके तहत बनाए गए नियम और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक परिपत्रों के साथ पढ़ा गया (इसके बाद सामूहिक रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित),के तहत 25 वीं वार्षिक आम बैठक कंपनी की (एजीएम) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") /अन्य ऑडियो-विजुअल के माध्यम से सोमवार 26 सितंबर 2022 को अपराह्न 03:30 बजे आयोजित की जाएगी। जिसमे एजीएम की सूचना में उल्लेखित व्यवसायों को सम्पादित किया जायेगा।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.mbapl.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। सदस्य एजीएम में केवल वीसी सुविधा के माध्यम सेही शामिल हो सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के तरीके के निर्देश नोटिस में प्रदान किए जाएंगे। वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी।

शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में नोटिस, वार्षिक रिपोर्ट और अन्य संचार भेजने के लिए, जिन शेयरधारक ने अभी तक अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से डिपॉजिटरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में तुरंत इसे पंजीकृत करेंऔर भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को investor@bigshareonline.com पर संपर्क करपंजीकृत करें।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। साथ ही कंपनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के जरिए वोटिंग की सुविधा भी देगी। एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया नोटिस में प्रदान कीगई है।

अंतिम लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट किया है। जिन शेयरधारकों ने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट नहीं किया है, उनके लिए लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट/चेक डाक सुविधा सेउनके पंजीकृत पते पर भेज दिए जाएंगे। लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने KYC को अपने डिपॉजिटरी (जहां शेयर डीमैटीरियलाइज्ड मोड में रखे गए हैं) के साथ अपडेट करें ताकि भुगतान तिथि पर सीधे उनके बैंक खाते में लाभांश प्राप्त किया जा सके।

स्थान- भीलवाडा
तिथि-23/08/2022

निर्देशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते मध्य भारत एग्रो प्रोडक्टस लिमिटेड
हस्ताक्षरित /-
(पल्लवी सुखवाल)
कम्पनी सचिव

कृष्णा फोस्केम लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय 5-ओ-21, बेसमेंट, आर.सी.व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा - 311001, राजस्थान
सीआईएन - L24124RJ2004PLC019288 फोन न.- 01482-237104, फैक्स न. -01482-239638
ई-मेल : secretarial@Krishnaphoschem.com वेबसाइट : www.Krishnaphoschem.com.com
OSTWAL

18 वीं वार्षिक आम बैठक से संबंधित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) की सुचना

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में, और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सामान्य नियमों के साथ बनाए गए नियम सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, 20/2020 दिनांक 05 मई 2020 और 02/2022 दिनांक 05 मई 2022 इसके तहत बनाए गए नियम और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक परिपत्रों के साथ पढ़ा गया (इसके बाद सामूहिक रूप से "परिपत्र" के रूप मी संदर्भित), इनके तहत 18 वीं वार्षिक आम बैठक कंपनी की (एजीएम) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") के माध्यम से बुधवार 28 सितंबर 2022 को अपराह्न 03:30 बजे आयोजित की जाएगी। जिसमे एजीएम की सूचना में उल्लेखित व्यवसायों को सम्पादित किया जायेगा।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www. Krishnaphoschem.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। सदस्य एजीएम में केवल वीसी सुविधा के माध्यम से ही शामिल हो सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के तरीके के निर्देश नोटिस में प्रदान किए जाएंगे। वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी।

शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में नोटिस, वार्षिक रिपोर्ट और अन्य संचार भेजने के लिए, जिन शेयरधारक ने अभी तक अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से डिपॉजिटरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में तुरंत इसे पंजीकृत करें और भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर संपर्क कर पंजीकृत करें।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। साथ ही कंपनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के जरिए वोटिंग की सुविधा भी देगी। एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया नोटिस में प्रदान है।

शेयरधारक ध्यान दें कि अंतिम लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट किया है। जिन शेयरधारकों ने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट नहीं किया है, उनके लिए लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट/चेक डाक सुविधा उपलब्ध होने के बाद उनके पंजीकृत पते पर भेज दिए जाएंगे। लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने KYC को अपने डिपॉजिटरी (जहां शेयर डीमैटीरियलाइज्ड मोड में रखे गए हैं) के साथ अपडेट करें ताकि भुगतान तिथि पर सीधे उनके बैंक खाते में लाभांश प्राप्त किया जा सके।

स्थान- भीलवाडा
तिथि- 23/08/2022

निर्देशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते कृष्णा फोस्केम लिमिटेड
हस्ताक्षरित /-
(प्रियंका बंसल)
कम्पनी सचिव